

प्रेस नोट दिनांक 23.03.2021

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई 20 साल की सश्रम कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदंड की सजा ।

जनपद में अपराध व आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , इटावा श्री आकाश तोमर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर /अपराध इटावा व क्षेत्राधिकारी जसवन्तनगर के नेतृत्व में थाना जसवन्तनगर पुलिस टीम एवं मॉनिटरिंग /पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी 20 वर्ष की सश्रम कारावास व 30,000 रुपये का अर्थदंड की सजा।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 12.08.2018 को थाना जसवन्तनगर पर वादी गंगा प्रसाद द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के साथ अपने मामा मनोज उर्फ गुड्ड के यहाँ आये गगन सिंह द्वारा दुष्कर्म करने की सूचना दी गयी जिसके सम्बन्ध में पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना जसवन्तनगर पर मु0अ0सं0 335/2018 धारा 376/120 बी भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था । उक्त घटना के क्रम में अभियुक्त उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम निरंतर प्रयासरत थी इसी क्रम में इटावा पुलिस के भारी दबाव के चलते अभियुक्त उपरोक्त ने दिनांक 14.08.2018 को मा0 न्यायालय इटावा में आत्मसमर्पण कर दिया था घटना के इसी क्रम में विवेचना अधिकारी श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह तत्कालीन थाना प्रभारी जसवन्तनगर द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र सं0 302/2018 दिनांक 05.09.2018 धारा 376/120 बी भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट में मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया । थाना जसवन्तनगर एवं मॉनिटरिंग /पैरवी सैल द्वारा प्रकरण की गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं अन्य साक्ष्यों का मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त

पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरूप उक्त जघन्य अपराध कारित करने वाले आरोपी को सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।

सजायाफ्ता:-

1. गगन सिंह पुत्र गरीब दास निवासी ग्राम सिराहट जसवन्तगर इटावा ।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद इटावा ।